ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 182-186
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

कृषि उपज मण्डी समितियों की विपणन प्रणाली का कृषकों के आर्थिक विकास में योगदान–मण्डला जिला के विशेष संदर्भ में

1. राज कुमार सोनवानी
2. डॉ0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह राजपूत

1. शोध अध्येत्री– अर्थशास्त्र विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट,
2. प्राचार्य– राजीव गांधी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रीठी–कटनी (म0प्र0) भारत

Received-06.08.2022, Revised-11.08.2022, Accepted-14.08.2022 E-mail: kumarrajsonwani@gmail.com

सारांश:– ***किसानों का आर्थिक रूप से तभी सशक्त किया जा सकता है, जबकि कृषि उपज के विपणन के लिए एक उपयुक्त विपणन प्रणाली विद्यमान हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि कृषि उपज मण्डी समितियों में विपणन के नये आयामों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये एवं उनमें व्याप्त कुरूतियों, गैर कानूनी कटौतियों को समाप्त कर कृषि विपणन को सुविधाजनक बनाया जाये। कृषकों को उनके उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने पर वे अधिक मात्रा में कृषि उपज का उत्पादन करने लिए प्रेरित होंगे और कृषि की उन्नत स्थिति को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे।***

कुंजीभूत शब्द– कृषि जीवन–यापन, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यस्था, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा, उत्पादन।

प्रस्तावना– हमारे देश में कृषि केवल जीवन–यापन के लिए ही नहीं की जाती है, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था का कृषि प्रधान अर्थव्यस्था कहते हैं। देश के उद्योग–धंधों एवं विभिन्न योजनाओं की सफलता, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं राजनीतिक स्थायित्व भी कृषि पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए सुकरात ने कहा है कि "जब खेती फलती–फूलती है, तब सब धंधे पनपते हैं किन्तु जब भूमि को बंजर छोड़ दिया जाता है, तब अन्य सभी धंधे नष्ट हो जाते हैं।" पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने ठीक ही कहा था कि "कृषि को सवोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यदि कृषि असफल रहती है तो सरकार एवं राष्ट्र दोनों ही असफल रहते हैं।" पी–काँग–चाँग ने तो यहाँ तक कहा है कि "कोई भी देश कितना ही उद्योग प्रधान क्यों न हो, वह आर्थिक क्रियाओं को चालू एवं विकसित नहीं कर सकता, यदि वह साथ ही साथ अपनी सीमाओं के अंतर्गत कृषि और उद्योग में उचित संतुलन नहीं बनाये रखता।"

मध्य प्रदेश की लगभग 74 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग–धंधों से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से लगभग 151 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि की जाती है। प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा के असमान वितरण एवं उसके अनिश्चितता के कारण प्रदेश की कृषि को मानसून की जुँआ के रूप में भी जाना जाता है।

मध्य प्रदेश का मण्डला जिला भी उक्त तथ्यों से अछूता नहीं रहा है। मण्डला जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8771 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 2,79000 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि की जाती है, जिसके अंतर्गत रबि एवं खरीफ दोनों फसलें शामिल हैं। बहुत कम क्षेत्र में जायद की फसल भी उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग एक तिहाई भाग का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। मण्डला जिले में कृषि उपज का उत्पादन केवल स्थानीय उपभोग के लिए ही नहीं वरन् अन्य प्रदेशों एवं विदेशों में निर्यात के लिए भी किया जाता है।

मध्य प्रदेश में कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं प्रतिश्पर्धात्मक मूल्य दिलाने एवं उनको अनुकूल विपणन सुविधायें उपलब्ध कराने में मण्डी समितियों की अहम भूमिका है। वर्तमान में प्रदेश में 359 कृषि उपज मण्डी समितियाँ 259 उपमंडियाँ उपर्युक्त कार्यों को बखूबी कर रही हैं। इन कृषि उपज मण्डी समितियों में से 03 कृषि उपज मण्डी समिति एवं 04 उपमण्डियाँ संचालित हैं। कृषि उपज मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज के क्रेता–विक्रेता के बीच न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना, बिक्री योग्य कृषि उपज का वर्गीकरण तथा निलामी द्वारा बिक्री कराना, क्रेता–विक्रेता के लिए सूचनाओं का संकलन, विक्रेता की गई कृषि उपज का मीट्रिक प्रणाली द्वारा सहीं माप की व्यवस्था कर उसके मूल्य का भुगतान उसी दिन कराना एवं क्रेता–विक्रेता के मध्य विवाद निपटाना आदि है।

शोध के उद्देश्य – इसका उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. मण्डला जिले की कृषि उपज मण्डियों की विपणन प्रणाली का अध्ययन।
2. मण्डला जिले में कृषि विपणन प्रणाली का कृषको के आर्थिक विकास के योगदान का अध्ययन।
3. मण्डला जिले के कृषकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना।
4. कृषि उपज मण्डी समितियों की व्यवस्था को मजबूत करना।

परिकल्पना – प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित परिकल्पनाएँ हैं –

1. कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में विक्रय करने से कृषकों को प्रतिष्पर्धात्मक मूल्य की प्राप्ति होती है।
2. किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में कृषि उपज मण्डी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती।

शोध प्रविधि – अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दानों प्रकार के आंकडों का उपयोग किया गया है। इन आंकड़ों का संकलन कर उनका सारणीयन एवं विश्लेषण किया गया है।

मण्डी समिति का गठन – मध्य प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (कमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर मण्डी स्थापित करती है। प्रत्येक मण्डी में 1 मुख्य प्रांगण और 1 से अधिक उपमण्डी प्रांगण हो सकते हैं। मण्डला जिले के तीनों कृषि उपज मण्डी समिति क्रमशः मण्डला, बिछिया एवं नैनपुर के 1–1 मुख्य प्रांगण एवं मण्डला के 1, बिछिया के 2 तथा नैनपुर के 1 उपमण्डी प्रांगण हैं। अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत गठित समिति में निम्नलिखित सदस्यगण शामिल किये गये हैं–

1	**अध्यक्ष**	**निर्वाचित**
2	कृषकों के 10 प्रतिनिधि	निर्वाचित
3	व्यापारियों के 1 प्रतिनिधि	निर्वाचित
4	हम्माल–तुलावटियों के 1 प्रतिनिधि	निर्वाचित
5	राज्य विधान सभा एवं लोकसभा के 1 सदस्य	नाम निर्दिष्ट
6	मण्डी क्षेत्र में कार्यरत सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि	नाम निर्दिष्ट
7	राज्य सरकार के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का 1 अधिकारी	नाम निर्दिष्ट
8	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि	नाम निर्दिष्ट
9	जिला भूमि विकास बैंक का एक प्रतिनिधि	नाम निर्दिष्ट
10	मण्डी क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि	नाम निर्दिष्ट

स्रोत– http://mpmandiboard.gov.in/index.php/societies/society-establishment

निर्वाचित मण्डी समितियों के पहले सम्मेलन में निर्वाचित अध्यक्ष, कृषक प्रतिनिधियों, व्यापारी प्रतिनिधि एवं हम्माल–तुलावटी प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित कृषक प्रतिनिधियों में से ही समिति के उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। कृषक हित संस्था को कृषकों के द्वारा कृषकों के लिए संचालन का सजीव उदाहरण है।

कृषि उपज मण्डी समितियों का वर्गीकरण– मध्य प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 25–क की उपधारा (1) एव सहपठित मध्य प्रदेश कृषि उपज मण्डीा (मण्डी समिति वर्गीकरण) नियम, 1981 के नियम (3) के अधीन विहित मानकों के आधार पर नियम (2) के खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) के अंतर्गत प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों को उनकी विगत तीन वर्षों की वार्षिक आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रदेश के कृषि उपज मण्डी समितियों को कुल 4 प्रवर्गों में विभाजिता किये गये हैं।

जिन कृषि उपज मण्डी समितियों की आय रूपये 3 करोड़ 50 लाख से अधिक प्रतिवर्ष होती है, उन्हें ''क'' प्रवर्ग, रूपये 2 करोड़ से अधिक तथा रूपये 3 करोड़ 50 लाख तक प्रतिवर्ष आय वाले कृषि उपज मण्डी समितियों को ''ख'' प्रवर्ग, रूपये 1 करोड़ से अधिक तथा रूपये 2 करोड़ तक प्रतिवर्ष आय वाले कृषि उपज मण्डी समितियों को ''ग'' प्रवर्ग एवं रूपये 1 करोड तक प्रतिवर्ष आय वाले कृषि उपज मण्डी समितियों को ''घ'' प्रवर्ग में रखे गये हैं। मण्डला जिले की तीनों कृषि उपज मण्डी समितियों में से 1 ''ग'' प्रवर्ग एवं 2 ''द'' प्रवर्ग की मण्डी समितियाँ हैं। इनमें से मण्डला ''ग'' प्रवर्ग एवं बिछिया तथा नैनपुर ''द'' प्रवर्ग की कृषि उपज मण्डी समिति हैं।

तालिका 1 : प्रदेश में संभागवार, प्रवर्गानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों का विवरण

संभाग का नाम	जिलों की संख्या	प्रवर्गानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों की संख्या				कुल मण्डियाँ	कुल उपमण्डियाँ
		''क'' प्रवर्ग	''ख'' प्रवर्ग	''ग'' प्रवर्ग	''घ'' प्रवर्ग		
भोपाल	8	12	11	8	18	49	57
इंदौर	8	6	8	8	12	34	62
उज्जैन	7	10	5	8	19	42	50
ग्वालियर	8	3	6	11	25	48	39
सागर	6	3	4	10	19	36	21
जबलपुर	8	4	7	7	17	35	47
रीवा	7	1	1	4	12	18	22
योग	52	39	42	56	122	259	298

स्रोत – http://mpmandiboard.gov.in/index.php/societies/market-committee

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

तालिका 2 : मण्डला जिले में कृषि उपज मण्डी समितियों का प्रवर्गानुसार विवरण

क्रमांक	कृषि उपज मण्डी समिति का प्रवर्ग	संख्या
1	"ग" प्रवर्ग	1
2	"घ" प्रवर्ग	2

स्रोत–कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला।

मण्डला जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों में विपणन प्रणाली

1. खुली निलामी द्वारा विक्रय – मण्डला जिले में कृषि उपज के विपणन में कृषि उपज मण्डी समितियों को महत्वपूर्ण योगदान है। इस समिति में कृषकों एवं व्यापारियों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कृषि उपज मण्डी समिति कृषकों के कृषि उपज को खुली निलामी पद्धति द्वारा विक्रय करवाता है। इस पद्धति में कृषकों के कृषि उपज का बोली कम से कम सहायक उप निरीक्षक स्तर का कर्मचारी लगाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से बोली की प्रारंभ की जाती है और अंतिम अधिकतम बोली पर कृषि उपज का विक्रय किया जाता है। विक्रय की गई कृषि उपज की तौल समिति की अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा किया जाता है। कृषि उपज मण्डी समितियों में व्यापारियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण बोली भी काफी उच्च भाव पर समाप्त होती है। इस प्रकार कृषकों को अपनी कृषि उपज का विक्रय कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से करने पर प्रतिश्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होता है और इसका भुगतान उसी दिन व्यापारी द्वारा किसान को कर दिया जाता है जिस दिन कृषि उपज का विक्रय किया गया हो। उसी दिन भुगतान नहीं किये जाने की दशा में प्रति दिवस 1 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 दिवस तक कृषि उपज के मूल्य का मय ब्याज भुगतान करना पड़ता है। यदि व्यापारी अधिकतम 5 दिवस की अवधि तक में किसान को उसके कृषि उपज के मूल्य का मय ब्याज भुगतान नहीं करता तो 5वे दिन के बाद उस ब्यापारी की अनुज्ञप्ति स्वमेव निरस्त हो जाता है। कृषि उपज मण्डी समिति के कृत्यकारी मण्डी समिति के अनुज्ञप्तिधारी होते हैं। कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में कृषि विपणन उसके देख–रेख में होता है। इसलिए कृषि उपज का विक्रय कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में करने पर कृषकों का शोषण होने की संभावना कम होती है।

तालिका 3 – मण्डला जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी कृत्यकारियों का विवरण

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	व्यापारियों की संख्या	तुलावटियों की संख्या	हम्मालों की संख्या
1	कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला	192	48	92
2	कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया	78	10	69
3	कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर	44	3	31
	योग	314	61	192

स्रोत – कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला, बिछिया एवं नैनपुर।

तालिका 4 : मण्डला जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में खुली निलामी के माध्यम से विक्रय विवरण

क्र.	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम	वित्तीय वर्ष 2020–21		वित्तीय वर्ष 2021–22	
		कृषकों की संख्या	विक्रय की गई कृषि उपज की मात्रा (क्वि. में)	कृषकों की संख्या	विक्रय की गई कृषि उपज की मात्रा (क्वि. में)
1	मण्डला	3895	172605	6667	292938
2	बिछिया	4181	283388	4294	324582
3	नैनपुर	780	33255	3462	146169
योग		8856	460287	14423	763689

स्रोत – कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला, बिछिया एवं नैनपुर।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

2. सौदा पत्रकों द्वारा विक्रय– इस पद्धति द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण के बाहर मण्डी क्षेत्र में कहीं भी मण्डी समिति की अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी कृषि उपज को विक्रेताओं से क्रय कर सकता है। इसके द्वारा विक्रय करने पर कृषकों मण्डियों तक कृषि उपज को पहुँचाने का परिवहन व्यय नहीं लगता है क्योंकि इसमें व्यापारी कृषक के घर में जाकर उसके कृषि उपज को क्रय करता है। इस पद्धति से विक्रय पर कृषक को प्रतिस्पर्धात्मक प्राप्त नहीं होता है लेकिन यदि कृषक को मण्डी में कृषि उपजों के प्रचिलित भावों की जानकारी होती है तो अवश्यक उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। इस पद्धति में कृषि उपज का क्रय एक ही होता है, इसलिए वह अपने मन मर्जी भावों पर कृषि उपजों को क्रय करना चाहता है। यदि कृषक को मण्डी में कृषि उपजों के प्रचिलित भावों की जानकारी नहीं होती है तो कृषक भी उनके द्वारा तय किये गये भावों पर ही अपने कृषि उपज का विक्रय कर देते हैं। इस पद्धति से विक्रय करने पर कृषकों का शोषण होने की संभावना अधिक होती है।

तालिका 5 : मण्डला जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में सौदा पत्रकों के माध्यम से विकय विवरण

क्र.	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम	वित्तीय वर्ष 2020–21		वित्तीय वर्ष 2021–22	
		कृषकों की संख्या	विक्रय की गई कृषि उपज की मात्रा (क्वि. में)	कृषकों की संख्या	विक्रय की गई कृषि उपज की मात्रा (क्वि. में)
1.	मण्डला	2707	118611	2654	123303
2.	बिछिया	0	0	1683	137136
3.	नैनपुर	0	0	250	11409
	योग	2707	118611	4587	271848

स्रोत – कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला, बिछिया एवं नैनपुर।

3. ई–नाम के माध्यम से विक्रय – राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। इसकी शुरूआत 14 अप्रैल, 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण देश को एक मण्डी क्षेत्र बनाना है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कृषि उपजों परिवहन एवं विपणन क्रिया सरलता से एवं अल्प समय में सम्पादित हो सके। इससे जुड़कर कोई भी कृषि उपज मण्डी समिति, राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में भाग ले सकती है। इसके अंतर्गत कृषक जब स्थानीय कृषि उपज मण्डी समिति में विक्रय करता है तो उन्हें उस मण्डी समिति के व्यापारियों के साथ–साथ इंटरनेट के माध्यम से देश के अन्य प्रांतों के कृषि उपज मण्डी समितियों के व्यापारियों को भी विक्रय करने का विकल्प प्राप्त हो जाता है और उन्हें जहाँ ज्यादा भाव प्राप्त होता है वहाँ वे अपने कृषि उपज को विक्रय कर सकते हैं। इसका सीधा लाभ कृषकों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। इस व्यवस्था में स्थानीय कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से पूरा व्यापार होने से उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। 31 मार्च, 2018 में प्रदेश की कुल 58 कृषि उपज मण्डी समितियाँ ई–नाम से जुड़ चुकी हैं। मण्डला जिले की 1 कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला भी ई–नाम से जुड़ चुकी है। इस मण्डी समिति के द्वारा इसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में क्रमशः 4 करोड़ 34 लाख 49 हजार 6 सौ 90 रूपये एवं 6 करोड़ 83 लाख 17 हजार 7 सौ 9 रूपये का व्यापार किया गया था जिसमें क्रमशः 1696 एवं 1012 कृषकों के 64130.00 एवं 44405.00 क्विंटल कृषि उपज का विक्रय किया गया है।

तालिका 6 : कृषि उपज मण्डी समिति मण्डला में ई–नाम के माध्यम से विक्रय कृषि उपज का विवरण

वर्ष	कृषकों की जिन्होंने कृषि उपज विक्रय किये	विक्रय की गई कृषि उपज की मात्रा (क्विं. में)	विक्रय की गई कृषि उपज की गई कृषि उपज की कीमत (रूपये में)
2020–21	1696	64130	43449690
2021–22	1012	44405	68317709

स्रोत – कृषि उपज मण्डी समिति मण्डला।

निष्कर्ष – कृषकों को अपनी कृषि उपज का विक्रय कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से मण्डी प्रांगण में खुली निलामी पद्धति एवं ई–नाम के द्वारा तथा प्रांगण के बाहर सौदा पत्रक के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को करना चाहिए। उक्त उक्त तीनों प्रणाली द्वारा विक्रय करने पर कृषकों को उनके उपज का बेहतर मूल्य की प्राप्ति होती है। मण्डी प्रांगण में विक्रय करने पर कृषकों को प्रतिष्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होता है, लेकिन मण्डी प्रांगण के बाहर सौदा पत्रकों के माध्यम से विक्रय करने पर उन्हें प्रतिष्पर्धात्मक मूल्य तो प्राप्त नहीं होता है लेकिन प्रचलित मण्डी भावों की जानकारी होने पर बेहतर मूल्य प्राप्त

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

किया जा सकता एवं परिवहन आदि व्ययों से बचा जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्र, जय प्रकाश. (2021). कृषि अर्थषास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेषन्स : आगरा।
2. जैन, एस.सी.. (2020). ग्रामीण एवं कृषि विपणन, कैलाष पुस्तक सदन : भोपाल।
3. गोयल, के.एल. एवं गोयल, तृप्ति. (2020). राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान हिन्दी, ग्रन्थ अकादमी : जयपुर।
4. सिंह, प्रदीप कुमार एवं सिंह, राकेष कुमार. (2018). भारतीय कृषि, बायोसाइंटिफिक पब्लीषर्स : न्यू दिल्ली।
5. यादव, सुबह सिहं. (1995). कृषि विपणन, सबलाइम पब्लिकेषन्स : जयपुर।
6. कृषि उपज मण्डी समितियों के सहायक उपनिरीक्षकों का आधारभूत प्रषिक्षण, महानिदेषक अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान : भोपाल/मुम्बई।
7. http://mpmandiboard.gov.in/

*****